# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 38/19 ( विविध प्रार्थना पत्र )

1. श्री वरदीचन्द पिता रूपा गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री रामलाल पिता चेना गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री लच्छीराम पिता चेना गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कैलाश पिता श्री प्रभूलाल सुथार निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री हिरालाल पिता उंकार गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री अमर सिंह पिता मदन सिंह राणावत निवासी नया बंगला खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री पन्नालाल पिता कजोड़ नाई निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री रतनलाल पिता रूपा गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्रीमती गेन्दी बाई पत्नी किशोर गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
7. श्रीमती लेरी पुत्री गंगाराम गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर हाल ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)।
8. श्री रामा पिता भीमा गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

9. श्री हिरालाल पिता किशोर गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
10. श्री भेरूलाल पिता किशोर गाडरी निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

...............विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री नारायण लाल जाट , अधिवक्ता प्रार्थीगण।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक :17.12.2019**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में आराजी नम्बर 4345 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित होकर गंगाराम पिता चेना के नाम 1/4 हिस्से से एवं रामा, किशोर पिता भीमा के नाम 1/4 हिस्से से एवं गंगाराम, रूपा, रामा, भेरा, लच्छीराम पिता चेना के नाम 1/2 हिस्से से अंकित हो उक्त भूमि न्यायालय आदेश से प्रार्थी वरदा पिता रूपा के नाम आराजी नम्बर 4345/5 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा के बजाय विक्रय से प्रार्थी लच्छीराम पिता चेना एवं विपक्षी रतनलाल पिता रूपा के नाम, प्रार्थी रामा पिता चेना के नाम आराजी नम्बर 4345/6 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा एवं प्रार्थी लच्छीराम पिता चेना के नाम आराजी नम्बर 4345/4 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा एवं विपक्षी लेरी पुत्री गंगाराम के नाम आराजी नम्बर 4345/3 रकबा 01 बिघा 02 बिस्वा एवं विपक्षी गेन्दी पत्नी किशोर के नाम आराजी नम्बर 4345/10 रकबा 18 बिस्वा एवं विपक्षी किशोर पिता भीमा के नाम 4345/2 रकबा 18 बिस्वा अंकित है। इसी तरह आराजी नम्बर 4347 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा गंगाराम, रूपा, रामा, लच्छीराम पिता चेना के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हो न्यायालय आदेश से प्रार्थी वरदा पिता रूपा के नाम आराजी नम्बर 4347/3 रकबा 12 बिस्वा, प्रार्थी रामा पिता चेना के नाम आराजी नम्बर 4347/4 रकबा 15 बिस्वा एवं प्रार्थी लच्छीराम पिता चेना के नाम आराजी नम्बर 4347/2 रकबा 12 बिस्वा एवं विपक्षी लेरी पुत्री गंगाराम के नाम आराजी नम्बर 4347/1 रकबा 12 बिस्वा अंकित है।

2. उक्त वर्णित भूमि मे से प्रार्थीगण की भूमि के पास विपक्षी संख्या 1 से 4 पड़ौसी खातेदार की भूमि आ गयी है, जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आए दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। जबकि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पालीयां पड़ी हुई है ओर दोनो की आराजी का अलग से अस्तित्व में है। उक्त वर्णित भूमि पर राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 5 से 10 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि के विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर हाल तहसीलदार भीण्डर के जरिये पक्की पत्थरगड़ी कराना चाहते है। इस हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से दिनांक 18.12.2017 को कहा तो विपक्षीगण ने कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा है।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 18.12.2017 को पैदा हुआ जब कि विपक्षीगण को प्रार्थीगण ने भूमि की पत्थरगड़ी कराने के लिए कहा तो उन्होने कानूनी कार्यवाही कराने को कहा, तब से निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थित में पत्थरगड़ी तहसीलदार वल्लभनगर हाल तहसीलदार भीण्डर के मार्फत करायी जावे।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात खाता संख्या 90 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053, खाता संख्या 92 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 एवं नक्शा ट्रेस पेश किया गया है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध दिनांक 06.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। दिनांक 22.10.2019 को विपक्षी संख्या 7 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप एवं विपक्षी संख्या 8 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 90 के अनुसार आराजी नम्बर 4347/3 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 4347/4 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर

4347/2 रकबा 12 बिस्वा तथा ग्राम खेरोदा की ही जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 92 के अनुसार आराजी नम्बर 4345/6 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 4345/4 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के एकल खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीगण स्वयं खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित खातेदारी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार भीण्डर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 90 के अनुसार आराजी नम्बर 4347/3 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 4347/4 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 4347/2 रकबा 12 बिस्वा तथा ग्राम खेरोदा की ही जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 92 के अनुसार आराजी नम्बर 4345/6 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 4345/4 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

( शैलेश सुराणा ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.12.27 22:55:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: